

**न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)**

व्यवहार वाद क.101 ए/2015

संस्थापित दिनांक 22/11/2012

फाईलिंग नम्बर 230303002492012

मंदिर श्री रामजानकी बांके मौजा पाली (डिरमन)
परनगा गोहद द्वारा— पुजारी रामअवतार शर्मा पुत्र
हरनारायण शर्मा आयु 60 साल जाति ब्राह्मण निवासी—
ग्राम पाली डिरमन परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....वादी

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय भिण्ड

..... प्रतिवादी

वादी द्वारा अधि0श्री विजय कुमार श्रीवास्तव।
प्रतिवादी द्वारा अधि0श्री दीवान सिंह गुर्जर।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 28/02/17 को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध मौजा पाली डिरमन परगना गोहद में स्थित मंदिर श्री रामजानकी की भूमि सर्वे क.850 रकवा 0.07 सर्वे क.852 रकवा 0.21 सर्वे क.853 रकवा 0.14, सर्वे क.854 रकवा 0.59 सर्वे क.2634 रकवा 0.35 सर्वे क.2652 रकवा 0.310 सर्वे क.2650 रकवा 0.75 सर्वे क.2653 रकवा 0.92 सर्वे क.2654 रकवा 1.39 सर्वे क.2667 रकवा 0.62 एवं मौजा कल्याणपुरा में स्थित भूमि सर्वे क. 240 रकवा 0.63 हेक्टेयर में राजस्व अभिलेख में वादी का नाम पुजारी की हैसियत से अंकित किये जाने की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क. 850 रकवा 0.07 सर्वे क. 852 रकवा 0.21 सर्वे क.853 रकवा 0.14, सर्वे क.854 रकवा 0.59 सर्वे क.2634 रकवा 0.35 सर्वे क. 2652 रकवा 0.310 सर्वे क.2650 रकवा 0.75 सर्वे क.2653 रकवा 0.92 सर्वे क.2654 रकवा 1.39 सर्वे क.2667 रकवा 0.62 कुल रकवा 5.21 ग्राम पाली डिरमन परगना गोहद में स्थित हैं एवं सर्वे क.240 रकवा 0.63 मौजा कल्याणपुरा परगना गोहद में स्थित है जो कि प्रकरण में विवादित है

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क्र.1174 रकवा 0.039 सर्वे क्र.1175 रकवा 0.12 सर्वे क्र.1176/1 रकवा 0.84 सर्वे क्र.1176/2 रकवा 0.052 सर्वे क्र.1180 रकवा .156 सर्वे क्र.1181 रकवा .136 सर्वे क्र.1182 रकवा 0.031 सर्वे क्र.1183 रकवा .167 सर्वे क्र.1184 रकवा .199 सर्वे क्र. 1436 रकवा .094 सर्वे क्र.1482 रकवा .355 सर्वे क्र.2492 रकवा .178 सर्वे क्र.2493 रकवा .752 सर्वे क्र.2494 रकवा .920 सर्वे क्र.2502 एवं 2503,2504,शामिल रकवा 1.390 सर्वे क्र.2519 रकवा .543 हेक्टेयर थे। वादग्रस्त भूमि मंदिर की सेवा पूजा एवं व्यवस्था में जमींदारी काल में लगाई गई थी। वादी के पूर्वज वादग्रस्त मंदिर के पुजारी थे वादी के पिता एवं बाबा वादग्रस्त मंदिर के पुजारी थे तथा उनकी मृत्यु पश्चात वादी वादग्रस्त मंदिर की सेवा पूजा करता है। वादग्रस्त भूमिपर हमेशा से पुजारी की हैसियत से वादी के पिता का नाम अंकित था और वादी का भी नाम अंकित था। वादी पुजारी की हैसियत से मंदिर की सेवा पूजा कर रहा है एवं वादग्रस्त भूमि पर काविज हैं तथा वादी का नाम वादग्रस्त भूमि पर पुजारी की हैसियत से अंकित था एवं प्रतिवादी ने वादी को सूचना दिये बगैर अवैधानिक रूप से मंदिर से वादी का पुजारी के रूप में नाम निरस्त कर दिया है। पुजारी की हैसियत से नाम निरस्त हो जाने से पटवारी मौजा ने वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है जिस कारण वादग्रस्त भूमि पर वादी के स्वत्व व आधिपत्य को खतरा उत्पन्न हो गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी पुजारी की हैसियत से काविज है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त मंदिर का पुजारी घोषित किया जावे एवं पुजारी की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर वादी का नाम अंकित करने की घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई रूप से निषेधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में व्यवधान उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुये उत्तर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासन के स्वत्व व आधिपत्य की है। वादी का वादग्रस्त भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वादी के पूर्वजों ने कभी भी किसी भी जमींदार से वादग्रस्त जमीन नहीं जुतवाई थी और न ही वादी वादग्रस्त भूमि को जोत रहे है। वादी को शासन द्वारा पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है संपूर्ण भूमि राजस्व अभिलेख में शासन के नाम दर्ज थी एवं वर्तमान में भी दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि से वादी का कोई संबंध नहीं है वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य हैं।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादी मौजा पाली डिरमन परगना गोहद में स्थित मंदिर श्री रामजानकी का वंशानुगत क्रम में पुजारी है?
2. क्या वादी मंदिर श्री रामजानकी की भूमि सर्वे क्र.850 रकवा 0.07 सर्वे क्र.852 रकवा 0.21 सर्वे क्र.853 रकवा 0.14 सर्वे क्र. 854 रकवा 0.59 सर्वे क्र.2634 रकवा 0.35 सर्वे क्र.2652 रकवा 0.10 सर्वे क्र.2650 रकवा 0.75 सर्वे क्र.2653 रकवा 0.92 सर्वे क्र. 2654 रकवा 1.39 सर्वे क्र.2667 रकवा 0.62 कुल रकवा 5.21

प्रमाणित नहीं।

में पुजारी की हैसियत से आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य कर रहा है?

प्रमाणित नहीं।

3. क्या प्रतिवादी द्वारा वादी के पुजारी के कार्य में एवं कृषि कार्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है? नहीं।
4. क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है?
5. क्या प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रचलन योग्य है? हाँ
6. सहायता एवं व्यय? वाद निरस्त किया गया।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण वाद प्रश्न कमांक-1 एवं 2

4. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
5. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में वादी रामौतार शर्मा वा.सा. 1 ने अपने वादपत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचनित किया है कि भूमि सर्वे क्र. 850 रकवा 0.07 सर्वे क्र.852 रकवा 0.21 सर्वे क्र.853 रकवा 0.14, सर्वे क्र.854 रकवा 0.59 सर्वे क्र.2634 रकवा 0.35 सर्वे क्र.2652 रकवा 0.310 सर्वे क्र.2650 रकवा 0.75 सर्वे क्र.2653 रकवा 0.92 सर्वे क्र.2654 रकवा 1.39 सर्वे क्र.2667 रकवा 0.62 कुल रकवा 5.21 ग्राम पाली डिरमन परगना गोहद में स्थित हैं एवं सर्वे क्र.240 रकवा 0.63 मौजा कल्याणपुरा परगना गोहद में स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क्र. 1174 रकवा 0.039 सर्वे क्र.1175 रकवा 0.12 सर्वे क्र.1176/1 रकवा 0.84 सर्वे क्र.1176/2 रकवा 0.052 सर्वे क्र.1180 रकवा .156 सर्वे क्र.1181 रकवा .136 सर्वे क्र.1182 रकवा 0.031 सर्वे क्र.1183 रकवा .167 सर्वे क्र.1184 रकवा .199 सर्वे क्र.1436 रकवा .094 सर्वे क्र.1482 रकवा .355 सर्वे क्र. 2492 रकवा .178 सर्वे क्र.2493 रकवा .752 सर्वे क्र.2494 रकवा .920 सर्वे क्र.2502 एवं 2503,2504, शामिल रकवा 1.390 सर्वे क्र.2519 रकवा .543 हेक्टेयर थे। उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की सेवा पूजा एवं व्यवस्था करने हेतु जमींदारी काल में लगायी गयी थी। उक्त मंदिर के पुजारी वादी के पूर्वज थे। वादी के बाबा एवं बाबा के पिता उक्त मंदिर के पुजारी थे एवं पिता की मृत्यु के पश्चात् ज्येष्ठता के आधार पर वादी उक्त मंदिर की पूजा अर्चना करता चला रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर पुजारी की हैसियत से वादी के पिता का नाम अंकित था। वादी एवं वादी के

पिता वादग्रस्त भूमि पर पुजारी के रूप में भूमि स्वामी के हैसियत से काबिज थे लेकिन अवैधानिक रूप से वादी को बगैर सूचना दिये हुये वादी का नाम उक्त मंदिर से निरस्त कर दिया गया है जिसकी जानकारी वादी को पटवारी मौजा से खाते की नकल लेने पर दिनांक 05/11/12 को हुयी थी। वादी के पूर्वजों ने वादग्रस्त मंदिर में सेवा पूजा की है। वादी के पूर्वजों का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित रहा है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में सम्वत् 2007 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 4 लगायत 7 सम्वत् 2009 के खसरे की सत्यापित प्रदर्श पी 8 लगायत 12 सम्वत् 2010 लगायत 14 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 13 लगायत 15 सम्वत् 2015 लगायत 19 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 17 लगायत 21, सम्वत् 2026 लगायत 2030 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 22 लगायत 29, सम्वत् 2031 लगायत 35 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 30 लगायत 37, सम्वत् 2036 लगायत 40 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 38 लगायत 45, सम्वत् 2041 लगायत 54 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 46 लगायत 53, सम्वत् 2046 लगायत 50 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 54 लगायत 61, सम्वत् 2055 लगायत 59 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 62 लगायत 67, सम्वत् 2060 लगायत 64 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 68 लगायत 72, किशत बंधी की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 73 तथा ग्राम कल्याण पुरा के सम्वत् 2030 लगायत 33 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 75, सम्वत् 2034 लगायत 38 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 76, सम्वत् 2039 लगायत 43 का खसरा प्रदर्श पी 77, सम्वत् 2044 लगायत 48 का खसरा प्रदर्श पी 78 एवं सम्वत् 2057 लगायत 61 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 79 एवं सम्वत् 2061 लगायत 65 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 80 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है।

6. प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि मंदिर रामजानकी लगभग दो सौ साल पुराना मंदिर है। उक्त मंदिर की स्थापना उसके पूर्वजों ने करायी थी ऐसा उसने सुना था। उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें यह उल्लेख हो कि मंदिर की स्थापना उसके पूर्वजों ने करायी है। पद क्र. 5 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शासन की जमीन, माफी की जमीन, मंदिर की जमीन का प्रबंधक कलेक्टर रहता है और उक्त जमीन शासन की मानी जाती है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मंदिर के पुजारी की नियुक्ति कलेक्टर महोदय के यहां से होती है एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पुजारी के रूप में शासन की ओर से कोई नियुक्ति नहीं है।

7. वादी साक्षी बाबूलाल वा.सा. 2, रफीद खाना वा.सा. 3 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

8. प्रतिवादी द्वारा उक्त सभी तथ्यों का खण्डन किया गया है। प्रतिवादी म.प्र. शासन की ओर से पटवारी राकेश कुमार पाण्डे प्र.सा. 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि वह मौजा पाली डिरमन का पटवारी है उसने सम्वत् 2070 लगायत 74 के खसरे की

नकल मूल रजिस्टर से तैयार करके दी है जो प्रदर्श डी 1 व प्रदर्श डी 2 है जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में विवादित सर्वे क्र. पर कोई ट्रस्ट नहीं बना है एवं व्यक्त किया है कि विवादित सर्वे क्र. पर किसी पुजारी का नाम अंकित नहीं है।

9. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादी के पूर्वज वादग्रस्त मंदिर के पुजारी थीं एवं पुजारी की हैसियत से मंदिर से लगी हुयी वादग्रस्त भूमि पर काबिज थे। पिता के मरने के बाद मंदिर की सेवा पूजा वादी द्वारा की जा रही है एवं वादी वादग्रस्त मंदिर का पुजारी है तथा पुजारी की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादी वादग्रस्त मंदिर का पुजारी नहीं है शासन द्वारा वादी को वादग्रस्त मंदिर का पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रामअवतार वा.सा. 1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि रामजानकी मंदिर की भूमि है एवं वादी के पूर्वज मंदिर श्रीरामजानकी के पुजारी थे तथा पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी मंदिर श्रीरामजानकी का पुजारी है एवं मंदिर की सेवा पूजा उसके द्वारा की जाती है वादग्रस्त भूमि मंदिर की सेवा पूजा हेतु जमींदारी काल में लगायी गयी थी। वादग्रस्त भूमि मंदिर की भूमि है जिस पर वह पुजारी की हैसियत से काबिज है। प्रतिवादी द्वारा उक्त सभी तथ्यों का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि शासन द्वारा वादी को वादग्रस्त मंदिर का पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है।

11. वादी रामअवतार वा.सा. 1 द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि वादी के पूर्वज वादग्रस्त मंदिर श्रीरामजानकी के पुजारी थे। वादी के बाबा एवं बाबा के पिता वादग्रस्त मंदिर के पुजारी थे। बाबा की मृत्यु के पश्चात् वादी के पिता मंदिर की पूजा करते थे एवं पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी वादग्रस्त मंदिर की पूजा अर्चना करता चला आ रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ने वादग्रस्त मंदिर का पुजारी होने का अभिकथन किया है परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज शासन का आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि कलेक्टर महोदय भिण्ड द्वारा वादी को वादग्रस्त मंदिर श्रीरामजानकी का पुजारी नियुक्त किया गया हो। यद्यपि वादी द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो खसरे खतौनी प्रदर्श पी 4 लगायत प्रदर्श पी 80 पेश किये गये हैं, उनमें संवत् 2006 के खसरे प्रदर्श पी 4, 5 एवं प्रदर्श पी 7 संवत् 2009 के खसरे प्रदर्श पी 8 लगायत 12 संवत् 2010 लगायत 14 के खसरे प्रदर्श पी 13 लगायत 16, संवत् 2015 लगायत 19 के खसरे प्रदर्श पी 17 लगायत 21 के स्तम्भ क्र. 3 में मंदिर श्री रामजानकी पुजारी विरमाजीत अंकित है एवं संवत् 2026 लगायत 30 के खसरे प्रदर्श पी 22 एवं संवत् 2041 लगायत 45 के खसरे प्रदर्श पी 46 के स्तम्भ क्र. 3 में मंदिर श्रीरामजानकी पुजारी हरनारायण रामदयाल पुत्रगण ब्रह्मजीत माफी औकाफ अतिये सरकार प्रबंधक कलेक्टर अंकित है। यदि खसरे की उक्त प्रविष्टियों से यह मान भी लिया जाये कि वादी के बाबा एवं पिता

वादग्रस्त मंदिर श्रीरामजानकी के पुजारी थे तो भी इससे यह नहीं माना जा सकता है कि वादी वादग्रस्त मंदिर श्रीरामजानकी मंदिर का पुजारी है। वादी द्वारा उक्त संबंध में ग्रामवासियों का प्रदर्श पी 3 का पंचनामा भी तैयार किया गया है परंतु उक्त पंचनामे के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि वादी वादग्रस्त मंदिर का पुजारी है। वादी रामअवतार वा.सा. 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि मंदिर के पुजारी की नियुक्ति कलेक्टर महोदय के यहां से होती है एवं यह भी स्वीकार किया गया है कि शासन द्वारा उसकी नियुक्ति नहीं की गयी है इस प्रकार वादी रामअवतार वा.सा. 1 के उक्त कथन से स्वतः यही दर्शित है कि कलेक्टर महोदय भिण्ड द्वारा वादी को वादग्रस्त मंदिर श्रीरामजानकी का पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है एवं वादी मंदिर श्रीरामजानकी का पुजारी नहीं है।

12. वादी रामअवतार वा.सा. 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने सुना है कि मंदिर की स्थापना उसके पूर्वजों ने करायी थी, परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि मंदिर श्रीरामजानकी की स्थापना वादी के पूर्वजों ने करायी थी। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादी को कलेक्टर महोदय भिण्ड द्वारा वादग्रस्त मंदिर श्रीरामजानकी का पुजारी नियुक्त किया गया हो। वादी रामअवतार वा. सा. 1 द्वारा स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि उसे शासन द्वारा मंदिर श्री रामजानकी का पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि वादी वादग्रस्त मंदिर श्री रामजानकी का पुजारी है।

13. वादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वह पुजारी की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है, परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य है अथवा राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम अंकित है। वादी द्वारा जो प्रदर्श पी 4 लगायत 80 के खसरा खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपियां प्रकरण में प्रस्तुत की गयी हैं, उनमें भी वादग्रस्त भूमि माफी औकाफ की भूमि होना एवं प्रबंधक कलेक्टर महोदय अंकित है। वादी द्वारा जो प्रदर्श पी 73 की किश्त बंधी खतौनी प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है उसमें भी वादग्रस्त भूमि मंदिर श्रीरामजानकी माफी औकाफ शासकीय पट्टाधारी प्रबंधक कलेक्टर महोदय अंकित है। इस प्रकार वादी द्वारा जो प्रदर्श पी 4 लगायत 80 के खसरा एवं किश्तबंधी खतौनी प्रकरण में प्रस्तुत की गयी हैं उससे भी यही दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय माफी औकाफ की भूमि है जिसके प्रबंधक कलेक्टर हैं। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज खसरा खतौनी इत्यादि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य दर्शित होता हो जहां तक उक्त बिन्दु पर आयी मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो वादीसाक्षी आनंदीबाई वा.सा. 2 ने अपने शपथ पत्र में तो यह बताया है कि वादी रामअवतार मंदिर श्रीरामजानकी की सेवा पूजा करते हैं एवं विवादित जमीन पर काबिज हैं, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसे ध्यान नहीं है लोग बताते हैं कि वादी पूजा करता है वादग्रस्त जमीन सरकारी है तथा यह भी

स्वीकार किया है कि सरकारी जमीन एवं मंदिर से लगी हुयी जमीन का प्रबंधक जिला कलेक्टर होता है। वादी साक्षी रफीक खान वा.सा. 3 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि सरकारी जमीन व मंदिर से लगी हुयी जमीन का प्रबंधक जिला कलेक्टर होता है।

14. इस प्रकार वादी साक्षी आनंदी बाई वा.सा. 2 एवं रफीक खान वा.सा. 3 ने भी यह बताया है कि वादग्रस्त जमीन का प्रबंधक कलेक्टर है एवं वादी साक्षी आनंदी बाई द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह स्वयं चलने फिरने में असमर्थ है उसे लोग बताते हैं कि वादी पूजा करता है। इस प्रकार वादी साक्षी आनंदी बाई वा.सा. 2 एवं रफीक खान वा.सा. 3 के कथनों से भी वादी का वादग्रस्त भूमि पर पुजारी की हैसियत से आधिपत्य होना दर्शित नहीं है। यद्यपि वादी द्वारा जो प्रदर्श पी 4 लगायत 80 के खसरे खतौनी पेश किये गये हैं उनमें से संवत् 2006 के खसरे प्रदर्श पी 4, 5 एवं प्रदर्श पी 7 संवत् 2009 के खसरे प्रदर्श पी 8 लगायत 12 संवत् 2010 लगायत 2014 के खसरे प्रदर्श पी 13 लगायत 16, संवत् 2015 लगायत 2019 के खसरे प्रदर्श पी 17 लगायत 21 में वादी के बाबा विरमाजीत एवं संवत् 2026 लगायत 2030 के खसरे प्रदर्श पी 22 एवं संवत् 2041 लगायत 2045 के खसरे प्रदर्श पी 46 के वादी के पिता हरनारायण एवं रामदयाल पुत्रगण ब्रह्मजीत का नाम अंकित है, परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त खसरों में वादी के बाबा एवं पिता का नाम वादग्रस्त भूमि पर मंदिर श्रीरामजानकी के पुजारी के रूप में अंकित है एवं वादग्रस्त भूमि माफी औकाफ की भूमि होकर प्रबंधक कलेक्टर अंकित है इस प्रकार वादी के बाबा एवं पिता का नाम वादग्रस्त भूमि पर मंदिर श्री रामजानकी के पुजारी के रूप में अंकित था परंतु उक्त आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त मंदिर के पुजारी थे परंतु वादी वादग्रस्त मंदिर का पुजारी नहीं है। वादी रामअवतार वा.सा. 1 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उसे शासन द्वारा पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है चूंकि वादी वादग्रस्त मंदिर का पुजारी नहीं है अतः वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है।

15. वादी ने वादग्रस्त भूमि पर पुजारी की हैसियत से अपना आधिपत्य बताया है, परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना दर्शित होता हो। जो तथ्य दस्तावेज से साबित हो सकते हैं उन्हें दस्तावेजों के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादी वादग्रस्त मंदिर श्री रामजानकी का पुजारी है एवं पुजारी की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संवत् 2061 लगायत 2064 के खसरे प्रदर्श डी1 एवं प्रदर्श डी2 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें वादग्रस्त भूमि मंदिर श्रीरामजानकी माफी औकाफ की भूमि शासकीय पट्टाधारी प्रबंधक कलेक्टर भिण्ड अंकित है। वादी द्वारा स्वयं ही जो प्रदर्श पी 4 लगायत 80 के खसरा खतौनी अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं उसमें भी वादग्रस्त भूमि शासकीय माफी औकाफ की भूमि प्रबंधक कलेक्टर अंकित है इस प्रकार उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं एवं वादी द्वारा जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उनसे यह दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि

शासकीय औकाफ की भूमि है, जिसके प्रबंधक कलेक्टर भिण्ड हैं। वादी वादग्रस्त मंदिर श्री रामजानकी मंदिर का पुजारी नहीं है ऐसी स्थिति में वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। उपरोक्त बिंदु पर वादी द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उससे यह दर्शित नहीं है कि वादी वादग्रस्त मंदिर का पुजारी है एवं यह भी दर्शित नहीं है कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है।

16. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह प्रमाणित नहीं है कि वादी पाली डिरमन परगना गोहद में स्थित मंदिर श्रीरामजानकी का वंशानुगत क्रम में पुजारी है एवं यह भी प्रमाणित नहीं है कि वादी वादग्रस्त भूमि पर पुजारी की हैसियत से आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य कर रहा है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-3 एवं 4

17. उक्त वाद प्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्न क. 1 एवं 2 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न क. 1 एवं 2 के निष्कर्ष अनुसार यह प्रमाणित नहीं है कि वादी पाली डिरमन परगना गोहद में स्थित मंदिर श्रीरामजानकी का वंशानुगत क्रम में पुजारी है एवं यह भी प्रमाणित नहीं है कि वादी वादग्रस्त भूमि पर पुजारी की हैसियत से आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य कर रहा है। चूंकि वादी वादग्रस्त मंदिर का पुजारी नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य भी प्रमाणित नहीं है ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के पुजारी के कार्य एवं कृषि कार्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-5

18. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी ने प्रकरण में कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही है। अतः प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत संचालन योग्य नहीं है।

19. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादी स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। चूंकि वादी ने वादपत्र में वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होने का अभिवचन किया है ऐसी स्थिति में वादी को कब्जा वापसी की सहायता मांगना आवश्यक नहीं था। अतः प्रस्तुत वाद कब्जा वापसी की सहायता न चाहे जाने के कारण अप्रचलनशील नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

सहायता एवं व्यय

20. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।
21. वाद का सम्पूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जायेगा।
22. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय होगा। तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक – 28/02/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0